

फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर
उनवान मंगी (बनाम) तहसीलदार अलवर
किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत नम्बर पर लेने मुकदमा नम्बर 15/56/2017


| | | |
|------------|-----------------------------------|---|
| तारीख हुकम | हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए |
|------------|-----------------------------------|---|

18.05.21

प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत नम्बर पर लेने मुकदमा का पेश किया गया। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। पूर्व में भी प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आएँ। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र बाबत नम्बर लेने हेतु दिनांक 18.07.2017 से विचाराधीन है। आज भी प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील के उपस्थित नहीं आएँ। प्रार्थी वकील द्वारा अपील पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2017 को प्रस्तुत किया जो करीब 3 वर्ष से अधिक हो गये। नम्बर पर लेने मुकदमा अदम हाजरी में खारिज होने की दिनांक प्रा0पत्र में अंकित नहीं की गई है मुकदमा अदम हाजरी में खारिज होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर-अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.17 को पेश किया गया है। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील के अनुपस्थित रहने के कारण प्रा0 पत्र का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लेने मुकदमा खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हों।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नन्मूल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर